



103

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।


क्रमांक :-प1(1) कार्गिक/नि.चि./31/07/1599

दिनांक:- 31/8/07

### -: कार्यालय-आदेश :-


राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये संत राम मैमारियल टण्डन आई सेन्टर, 5, अचरोल हाऊस, मैसूर हाऊस के पीछे, सिविल लाईन्स, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा कुल देय बिल पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

  
सचिव 30/8/07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता I/II राज0आ0मण्डल,जयपुर।
2. व0नि0स0-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल,जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता .....राज0आ0मण्डल,जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... रा0आ0म0.....।
5. आवासीय अभियंता खण्ड.....रा0आ0म0.....।
6. विशेषाधिकारी-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संत राम मैमारियल टण्डन आई सेन्टर, 5, अचरोल हाऊस, मैसूर हाऊस के पीछे, सिविल लाईन्स, जयपुर।
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0आ0मण्डल,जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली

  
सचिव 30/8/07